न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

परिवाद संख्या 69/2016

सरकार जरीये श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी

कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर जोन, जोधपुर

प्रार्थी

बनाम्

1. श्री कुम्भाराम चौधरी पुत्र श्री खेताराम चौधरी उम्र–38 वर्ष (एफ बी ओ एवं विक्रेता)
   मैसर्स– श्री रामदेव मसाला उधोग,4/157, इन्द्रा नगर, के.के. कॉलोनी बासनी प्रथम फेस, जोधपुर
   निवासी– 4/128, इन्द्रा नगर, के.के. कॉलोनी बासनी प्रथम फेस, जोधपुर
2. श्रीमति अन्नु देवी पत्नी श्री घमण्डाराम जी (मालिक)
   मैसर्स– श्री रामदेव मसाला उधोग,4/157, इन्द्रा नगर, के.के. कॉलोनी बासनी प्रथम फेस, जोधपुर
   निवासी– 4/128, इन्द्रा नगर, के.के. कॉलोनी बासनी प्रथम फेस, जोधपुर

अप्रार्थीगण

आदेश

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1(2)क्रार्मिक./क–4/08 दिनांक 05.08.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलो में कार्यरत अतिरक्ति जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने तथा कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के आदेश क्रमांक डी.एम. कोर्ट/ रीडर/2012/1018 दिनांक 5.06.2012 के द्वारा तहसील जोधपुर के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर जोन, जोधपुर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण श्री कुम्भाराभ चौधरी पुत्र श्री खेताराम चौधरी उम्र–38 वर्ष मैसर्स– श्री रामदेव मसाला उधोग,4/157, इन्द्रा नगर, के.के. कॉलोनी बासनी प्रथम फेस, जोधपुर निवासी– 4/128, इन्द्रा नगर, के.के. कॉलोनी बासनी प्रथम फेस, जोधपुर ने संब स्टेन्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघन किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत् जुर्माने योग्य अपराध है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ परिवाद पेश करने का अभिहित अधिकारी प्राधिकृत पत्र, अधिसूचना (खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां), पदस्थापन आदेश कार्यक्षेत्र, अधिसूचना कार्यक्षेत्र, प्रपत्र–5ए, नमूना खरीद की रसीद, मौका फर्द, पहचान पत्र श्री कुम्भाराम चौधरी वाहन अनुज्ञप्ति, एफएसएसआई अनुज्ञा पत्र श्री रामदेव मसाला उधोग जोधपुर, वेट–03 प्रमाण पत्र श्री रामदेव मसाला उधोग, जोधपुर, नमूना एडी–353 खाद्य विश्लेषक को जमा रसीद, नमूना एडी–353 खाद्य विश्लेषक को

मैसर्स– श्री रामदेव मसाला उधोग,4/157, इन्द्रा नगर, के.के. कॉलोनी बासनी प्रथम फेस, जोधपुर
निवासी– 4/128, इन्द्रा नगर, के.के. कॉलोनी बासनी प्रथम फेस, जोधपुर

2. श्रीमति अन्नु देवी पत्नी श्री घमण्डाराम जी (मालिक)
मैसर्स– श्री रामदेव मसाला उधोग,4/157, इन्द्रा नगर, के.के. कॉलोनी बासनी प्रथम फेस, जोधपुर
निवासी– 4/128, इन्द्रा नगर, के.के. कॉलोनी बासनी प्रथम फेस, जोधपुर

अप्रार्थीगण

आदेश

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1(2)क्रार्मिक./क–4/08 दिनांक 05.08.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने तथा कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के आदेश क्रमांक डी.एम. कोर्ट/ रीडर/2012/1018 दिनांक 5.06.2012 के द्वारा तहसील जोधपुर के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर जोन, जोधपुर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण श्री कुम्भाराम चौधरी पुत्र श्री खेताराम चौधरी उम्र–38 वर्ष मैसर्स– श्री रामदेव मसाला उधोग,4/157, इन्द्रा नगर, के.के. कॉलोनी बासनी प्रथम फेस, जोधपुर निवासी– 4/128, इन्द्रा नगर, के.के. कॉलोनी बासनी प्रथम फेस, जोधपुर ने संब स्टेन्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघन किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत् जुर्माने योग्य अपराध है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ परिवाद पेश करने का अभिहित अधिकारी प्राधिकृत पत्र, अधिसूचना (खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां), पदस्थापन आदेश कार्यक्षेत्र, अधिसूचना कार्यक्षेत्र, प्रपत्र–5ए, नमूना खरीद की रसीद, मौका फर्द, पहचान पत्र श्री कुम्भाराम चौधरी वाहन अनुज्ञप्ति, एफएसएसआई अनुज्ञा पत्र श्री रामदेव मसाला उधोग जोधपुर, वेट–03 प्रमाण पत्र श्री रामदेव मसाला उधोग, जोधपुर, नमूना एडी–353 खाद्य विश्लेषक को जमा रसीद, नमूना एडी–353 खाद्य विश्लेषक को सिल्ड लिफाफा प्रारूप VI जमा रसीद, नमूना एडी–353 के द्वितीय, तृतीय सिल्ड भाग अभिहित अधिकारी को जमा, प्रारूप VI, नमूना संख्या एडी–353 का चतुर्थ सिल्ड भाग अभिहित अधिकारी को जमा, जांच रिपोर्ट अग्रेषण पत्र 304–305, जांच रिपोर्ट फार्म बी एल.एसत्र 447/एक्ट/2016/491, की छायाप्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये गये परिवाद के अनुसार दिनांक 28.04.2016 को 05.00 पी.एम पर श्री कुम्भाराम चौधरी पुत्र श्री खेताराम चौधरी उम्र–38 वर्ष मैसर्स– श्री रामदेव मसाला उधोग,4/157, इन्द्रा नगर, के.के. कॉलोनी बासनी प्रथम फेस, जोधपुर निवासी– 4/128, इन्द्रा नगर, के.के. कॉलोनी बासनी प्रथम फेस, जोधपुर उपस्थित मिलने पर श्री मगराज को परिचय देते हुए परिचय पत्र दिखाया गया। मालिक/विक्रेता से वर्ष 2015 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, इन्होने स्वंय का पहचान पत्र एवं वेट 03 प्रमाण–पत्र श्री रामदेव मसाला उधोग जोधपुर पेश किया।

उपरोक्त परिसर का निरीक्षण करने पर **धनिया पाउडर (जोधपुरी मसाले) के 100 पैकेटस प्रत्येक 500ग्राम (प्लास्टिक के बैग्स में)** आम जनता को विक्रेय हेतु रखा हुआ था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह के विक्रेता को इसकी सूचना जरिये प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5 ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता एवं गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जांच एफ.एस.एस. एक्ट के तहत कराने हेतु खरीदा जा रहा है। प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर है।

रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को उनके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रूपये 295/– नगद देकर **धनिया पाउडर (जोधपुरी मसाले) 500 ग्राम के 4 पैकेटस** खरीदी एवं रूपयों की रसीद/केश मेमो प्राप्त की जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा **धनिया पाउडर (जोधपुरी मसाले) 500 ग्राम के 4 पैकेटस को** चार गत्ते के खाली डिब्बो में डालकर चार नमूना भाग बनाकर लेबल तैयार किया। लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एडी–353 दर्ज करते हुए प्रत्येक लेबल पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर चारो नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। नमूनो पर एडी–353 चार पेपर स्लिप एडी–353 हस्ताक्षर युक्त डा0 अनिल मित्तल, अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर चिपकाई एवं चारों नमूनों पर अपने एवं विकेता के हस्ताक्षर करवायें। मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में स्वयं , गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की 8 प्रतियां तैयार की। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे सिल्ड कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया। एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा दिनांक 29.04.2016 को खाद्य विश्लेशक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की।

एडी–353 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 28.04.2016 को एवं चतुर्थ भाग दिनांक 28.04.2016 को जमा कराये गये एवं प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 304–305 दिनांक 30.05.2016 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल.एस./447/एक्ट/2016/491 दिनांक 10.05.2016 प्रति के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया **धनिया पाउडर (जोधपुरी मसाले) मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/स्वीकृति/एडी–353/ दिनांक के द्वारा प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को परिवाद दायर करने हेतु अधिकृत किया गया है। चूंकि अप्रार्थी ने **मिथ्याछाप (Misbranded) लाल धनिया पाउडर (जोधपुरी मसाले)** का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं

भरकर दिया। प्रपत्र 5 ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता एवं गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जांच एफ.एस.एस. एक्ट के तहत कराने हेतु खरीदा जा रहा है। प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर है।

रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को उनके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रूपये 295/– नगद देकर **धनिया पाउडर (जोधपुरी मसाले) 500 ग्राम के 4 पैकेटस** खरीदी एवं रूपयों की रसीद/केश मेमो प्राप्त की जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा **धनिया पाउडर (जोधपुरी मसाले) 500 ग्राम के 4 पैकेटस को** चार गत्ते के खाली डिब्बो में डालकर चार नमूना भाग बनाकर लेबल तैयार किया। लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एडी–353 दर्ज करते हुए प्रत्येक लेबल पर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर चारो नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। नमूनो पर एडी–353 चार पेपर स्लिप एडी–353 हस्ताक्षर युक्त डा0 अनिल मित्तल, अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर चिपकाई एवं चारों नमूनों पर अपने एवं विकेता के हस्ताक्षर करवायें। मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में स्वयं , गवाह व विकेता ने हस्ताक्षर किये। कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की 8 प्रतियां तैयार की। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे सिल्ड कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया। एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा दिनांक 29.04.2016 को खाद्य विश्लेशक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की।

एडी–353 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 28.04.2016 को एवं चतुर्थ भाग दिनांक 28.04.2016 को जमा कराये गये एवं प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 304–305 दिनांक 30.05.2016 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल.एस./447/एक्ट/2016/491 दिनांक 10.05.2016 प्रति के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया **धनिया पाउडर (जोधपुरी मसाले) मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/स्वीकृति/एडी–353/ दिनांक के द्वारा प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को परिवाद दायर करने हेतु अधिकृत किया गया है। चूंकि अप्रार्थी ने **मिथ्याछाप (Misbranded) लाल धनिया पाउडर (जोधपुरी मसाले)** का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 14-12-16 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष न्यायालय हाजा में स्वयं या उनके

प्रतिनिधी के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया गया बार बार अवसर देने के उपरान्त पत्रावली बन्द किया गया प्रत्रावली का अवलोकन करने पर अप्रार्थीगण खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 का दोषी पाया जाता है।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात, खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक राजस्थान जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट फार्म बी संख्या एल.एस./447/एक्ट/2016/491 दिनांक 10.05.2016 द्वारा अप्रार्थीगणो द्वारा निर्मित **धनिया पाउडर (जोधपुरी मसाले)** का सैम्पल नमूना संख्या एडी–353 जांच रिपोर्ट में **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगणो द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने के दोषी है, जिसे लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधान को मध्य नजर रखते हुए अप्रार्थीगणो को जुर्माने के दण्ड से दंडित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी कुम्भाराम चौधरी एवं अन्य द्वारा खाद्य मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लघंन करने एवं अपराध कारित करने के कारण उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थीगणो पर राशि रूपये 5000 /– (अखरे रूपये पाँच हजार मात्र) की शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णायन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 15.5.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट (शहर)
जोधपुर

क्रमांक :- 1206-1207 दिनांक :- 16-5-2017

प्रतिलिपी :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हे :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जयपुर, राजस्थान।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
3. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर
4. श्री कुम्भाराम चौधरी पुत्र श्री खेताराम चौधरी उम्र–38 वर्ष (एफ बी ओ एवं विक्रेता)
मैसर्स– श्री रामदेव मसाला उधोग,4/157, इन्द्रा नगर, के.के. कॉलोनी बासनी प्रथम फेस, जोधपुर
निवासी– 4/128, इन्द्रा नगर, के.के. कॉलोनी बासनी प्रथम फेस, जोधपुर
5. श्रीमति अंन्नु देवी पत्नी श्री घमण्डाराम जी (मालिक)
मैसर्स– श्री रामदेव मसाला उधोग,4/157, इन्द्रा नगर, के.के. कॉलोनी बासनी प्रथम फेस, जोधपुर
निवासी– 4/128, इन्द्रा नगर, के.के. कॉलोनी बासनी प्रथम फेस, जोधपुर

बेचने के दोषी है, जिसे लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधान को मध्य नजर रखते हुए अप्रार्थीगणो को जुर्माने के दण्ड से दंडित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी कुम्भाराम चौधरी एवं अन्य द्वारा खाद्य मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लघंन करने एवं अपराध कारित करने के कारण उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थीगणो पर राशि रूपये 5000 /– (अखरे रूपये पाँच हजार मात्र) की शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णायन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 15.5.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट (शहर)
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

क्रमांक :- 1206-1207 दिनांक :- 16-5-2017

प्रतिलिपी :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हे :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जयपुर, राजस्थान।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
3. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर
4. श्री कुम्भाराम चौधरी पुत्र श्री खेताराम चौधरी उम्र–38 वर्ष (एफ बी ओ एवं विक्रेता)
   मैसर्स– श्री रामदेव मसाला उधोग,4/157, इन्द्रा नगर, के.के. कॉलोनी बासनी प्रथम फेस, जोधपुर
   निवासी– 4/128, इन्द्रा नगर, के.के. कॉलोनी बासनी प्रथम फेस, जोधपुर
5. श्रीमति अंन्नु देवी पत्नी श्री घमण्डाराम जी (मालिक)
   मैसर्स– श्री रामदेव मसाला उधोग,4/157, इन्द्रा नगर, के.के. कॉलोनी बासनी प्रथम फेस, जोधपुर
   निवासी– 4/128, इन्द्रा नगर, के.के. कॉलोनी बासनी प्रथम फेस, जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट (शहर)
जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर